संख्या– 24 /79–5–2013–1(12)/13

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उ0प्र0 लखनऊ।

2. राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना
लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 27 जून, 2013

विषयः **खेल नीति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खेलकूद विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश में खेल एवं शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु खेल नीति बनाये जाने पर विचार किया जा रहा है। उक्त खेल नीति के अन्तर्गत खेल अवस्थापनाओं का विस्तार एवं आधुनिकीकरण किया जाना है। साथ ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। शिक्षण संस्थाओं में भी उक्त नीति को लागू किया जाना प्रस्तावित है।

2– अवगत कराना है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत 01 किमी0 की परिधि में प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण निर्धारित है। इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि कतिपय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय एक ही परिसर में संचालित होते हैं। अधिकांश विद्यालयों में खेल के मैदान हेतु भूमि उपलब्ध नही हो पाती है। ग्राम सभा/पंचायत/नगर स्तर पर खेल कूद की व्यवस्था यथा–खेल के मैदान का निर्माण कराया जाता है और नगर स्तर पर पार्क/स्टेडियम में खेल की व्यवस्था की जाती है तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को खेल प्रशिक्षण/खेलने का अवसर/सुविधा प्रदान की जाती है तो विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा इच्छुक छात्र/छात्राओं को व्यवस्थानुसार खेल में प्रतिभाग किये जाने का अवसर प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जहां 100 से अधिक छात्र संख्या है वहां अंशकालिक अनुदेशक की शारीरिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति की जा रही है तथा जिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उक्त शिक्षक की नियुक्ति की जा रही है और उसी परिसर में प्राथमिक विद्यालय भी स्थित है तो संबंधित शिक्षक द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के साथ–साथ प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को भी विद्यालय की व्यवस्थानुसार खेल की गतिविधियों में शामिल किया जायेगा।

उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

17.6.13

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।